Crime-1

फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

हरिचन्द्र पिता बाबरिया जाति लबाना निवासी जालमपुरा मोर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा। **बनाम** अबराज पिता बाबरिया जाति लबाना निवासी जालमपुरा मोर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा व अन्य।

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

प्रकरण संख्याः– **2025 / 129**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.12.2025	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी हरिचन्द्र पिता बाबरिया जाति लबाना निवासी जालमपुरा मोर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा द्वारा प्रतिवादीगण अबराज पिता बाबरिया जाति लबाना निवासी जालमपुरा मोर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा व अन्य के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी	
30.12.25	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त। प्रतिवादी सं. 02 की ओर से श्री शिवलाल पुरी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में निवेदन कर बताया गया कि वादी द्वारा जिन सर्वे नम्बरों का बटवारा हेतु दावा पेश किया गया है। उन सर्वे नम्बर का दावा समान पक्षकारों के मध्य पूर्व में विचाराधीन रहकर इस न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया [illegible] जिसकी माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध [illegible] राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में विचाराधीन कर इस न्यायालय का निर्णय अपास्त कर पुनः तहसीलदार को स्वयं मौके पर भेज कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जा कर पक्षकारों की	पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:42 IST
Reason: SelfAttested

आपत्ति लेकर नये सिरे से निर्णय पारित करने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। जो वर्तमान में विचाराधीन होकर प्रकरण सं. 2016/00692 उनवान हरिशचन्द्र बनाम अलरखुराम नाम से चल रहा है। जिसकी आगामी पेशी दि. 28.1.26 को नियत है। समान भूमि का, समान पक्षकारों के मध्य, समान टाईटल था समान विवाद का वाद उसी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के प्रकरण 2016/00602 उनवान हरिश चन्द्र बनाम अलरखुराम जिसकी आगामी तारीख पेशी दि. 28.1.2.2026 नियत है का अवलोकन किया गया है। वादी जिन सर्वे नम्बरों का वाद लाया है उन सर्वे नम्बरों का वाद पूर्व से इस न्यायालय में चल रहा है। समान सर्वे नम्बरों का समान पक्षकारों के मध्य समान धाराओं में एक ही न्यायालय में एक से अधिक वाद विचाराधीन नहीं हो सकता है। वादी का यह वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम की ज[illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 17:12:42 IST
Reason: SelfAttested